रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D.(D)-72

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 1979/चैत्र 6, 1901
No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 1979/CHAITRA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1979

**का. आ. 157(अ)/18ए/आईडीआरए 79.**—केन्द्रीय सरकार की राय है कि अनुसूचित उद्योग अर्थात् "अन्य प्रसंस्कृत खाद्य" में लगे मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली वार्ले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रमों का, जो कलकत्ता में स्थित हैं, और जिनके बारे में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की जा चुकी है, प्रबंध इस प्रकार किया जा रहा है कि वह लोक हित के लिए अत्यन्त अपायकर है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार में श्रम और बन्दु उद्योग विभाग, कलकत्ता के सचिव को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकृत नियंत्रक' कहा गया है), कलकत्ता स्थित उक्त दोनों औद्योगिक उपक्रमों, अर्थात्, मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली वार्ले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियन्त्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत नियन्त्रक इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ,

(3) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति को पहले भी समाप्त कर सकती है।

2. यह आदेश, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ हो कर तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[फा. सं. 2/1/75-सी. यू. सी]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

### (Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th March, 1979

**S.O.157 (E)/18A/IDRA/79.**—Whereas the Central Government is of opinion that the industrial undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs. Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta and pertaining to a scheduled industry, namely, "other processed foods", in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), are being managed in a manner highly detrimental to public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Secretary to the State Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries, Calcutta (hereinafter referred to as the 'Authorised Controller') to take over the management of the whole of the said industrial undertakings, namely, Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs. Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, subject to the following terms and conditions, namey :—

(i) the Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government ;

(ii) the Authorised Controller shall hold office for a period of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette ;

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of three years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 2/1/75-CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979